पारिशिष्ट-1
[23/12/2019]

प्रश्न सं. [क. 2082]

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 115
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY
SHASTRI BHAVAN
NEW DELHI-110 115

Sachin Sinha
Joint Secretary (AE)
Tele: 011-23070927
Email: sinhas3@nic.in

Dated: 23rd February, 2018

D.O. No.9-7/2017-NLM.I (Part-II)

Dear Madam,

Please refer to this Department's D.O. letter from Special Secretary (SE&L) dated 11th October, 2017 vide which it had been informed that the Saakshar Bharat programme had been granted an interim extension upto 31 December, 2017 without changing the scope, nature and coverage of the scheme and without creating additional posts.

2. Now, it is informed that the Saakshar Bharat programme has been given an extension till 31st March, 2018 by the Department of Expenditure, Ministry of Finance vide O.M. No.13(16)/PF-II/2017 dated 19th February, 2018 without changing the scope, nature and coverage of the scheme and without creating additional posts.

With regards,

Yours sincerely,

(Sachin Sinha)

Smt Deepti Gaur Mukarjee
Secretary Education,
Mantralaya,Vallabh Bhawan,
Bhopal – 462004 (Madhya Pradesh)
Email: sbmp2017@gmail.com, deeptigaur@yahoo.com, secy.sed@mp.gov.in

13/2/19
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (साक्षर-)
मंत्रालय, भोपाल

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

- अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र देना होगा कि उनके विरूद्व किसी प्रकार की आपराधिक प्रकरण प्रचलित तो नही है। यदि उनके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उनका आवेदन संविदा अवधि निरस्त कर दी जायेगी।
- आवेदक अपना आवेदन पत्र मय स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्रो के साथ संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय में दिनांक 22.10..2012 सायं 5.00 बजे तक जमा करेंगे। निर्धारित समय सीमा के पश्चात आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र,भोपाल

स्कूल शिक्षा ...खा-1)
...लय, ...

परिशिष्ट-2

राज्य शिक्षा केन्द्र
पुस्तक भवन, बी–विंग अरेरा
भोपाल -462011
विज्ञापन

क्रमांक / राशिके / साक्षर भारत / 2012 / 9274 भोपाल, दिनांक 27.09.12

मध्यप्रदेश में संचालित साक्षर भारत योजनान्तर्गत 42 जिलों में (होशंगाबाद, भोपाल,नरसिंहपुर,इंदौर,उज्जैन, शाजापुर, जबलपुर एवं रायसेन छोडकर) जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यालय के अंतर्गत पंचायत स्तर पर स्वीकृत प्रति पंचायत प्रौढ शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाना है, जिसमें प्रौढ शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत प्रेरक के दो पद स्वीकृत है। जिसमें 01 प्रेरक **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अल्पसंख्यक वर्ग का तथा 01 प्रेरक महिला होना अनिवार्य है। प्रेरक** पद पर संविदा आधारित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदक जो निम्नानुसार योग्यता एवं अर्हता रखते हो, निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

पदका नाम	संविदा पर मासिक परिलब्धिया प्रति प्रेरक	पद हेतु निर्धारित अर्हता	अभ्यर्थी अपना आवेदन कहां प्रस्तुत करेंगे
प्रेरक	रूपये2000.00 (दो हजार मात्र)	1.शैक्षणिक योग्यता:– हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण 2.अधिकतम आयु:– दिनांक 01.07.2012 को 22से 45 वर्ष हो। 3.प्राथमिकता:– स्थानीय, पूर्व में साक्षरता संचालित योजनाओं में कार्य का अनुभव, कम्पुटर संचालन का ज्ञान	संबंधित विकासखंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय में

- **प्रेरक के कर्तव्य:–**
  1. लोक शिक्षा केन्द्र की गतिविधियों का संचालन एवं प्रबंधन करना।
  2. ग्राम स्तर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर निरक्षरों एवं स्वंय सेवी शिक्षक की पहचान करना।
  3. प्रत्येक स्वंय सेवी शिक्षक एवं निरक्षरों को पठन पाठन सामग्री उपलब्ध करना।
  4. ग्राम पंचायत में संचालित साक्षरता कक्षाओं एवं अन्य गतिविधियों की मानीटरिंग करना।
  5. प्रेरक का दायित्व रहेगा कि वह अनिवार्यतः नियमित रूप से साक्षरता कक्षाओं में पढाने का कार्य करेगें ।
  6. सतत शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रम हेतु लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।
  7. नवसाक्षरों का मूल्यांकन करना एवं मानदेय का वितरण करना।
  8. ग्राम पंचायत में 100 प्रतिशत महिला साक्षरता पर दर प्राप्त करने पर महिला साक्षरता अर्वाड प्रस्ताव तैयार कर जिले को भेजना।
- संविदा अवधि अधिकतम 6 माह की होगी तथा कार्य मूल्यांकन उपरांत मापदंड अनुरूप पाये जाने की स्थिति में ही सेवा वृद्वि की जावेगी।
- संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। संविदा नियुक्ति, योजना समाप्ति के साथ ही स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- अभ्यर्थी में व्यापक भ्रमण की शारीरिक क्षमता होना चाहिए।

13/12/12

अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-)
मंत्रालय, भोपाल